प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 57 / 2021

शीर्षक

नाथी देवी पुत्री सुवालाल पत्नी भगवान सहाय, उम्र – व्यस्क, जाति खाती निवासी करीरी, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर ।

वादीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू–धारक) , तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

2. बिश्वेश्वर पुत्र भूरा
3. ऋतुराज
4. विनोद
5. राकेश
6. संगीता

} पि0 हनुमान

समस्त जाति खाती निवासी करीरी, तह0 शाहपुरा ,जिला जयपुर (राज0)

7. चन्दा
8. पूजा
9. मुकेश
10. आशिष

} पि0 मुरली उर्फ मुरारी

समस्त जाति खाती निवासी करीरी, तह0 शाहपुरा ,जिला जयपुर (राज0)

11. मोहन पुत्र भूरा जाति निवासी करीरी, तह0 शाहपुरा ,जिला जयपुर (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा– 88, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक 02.10.2021

अतः वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर खाता सं0 880 के आ0ख0न0 369 रकबा 0.84 है0 हि0 1/2 जाति खाती में सुरजा पुत्र मन्ना के स्थान सुवा पुत्र मन्ना हि0 1/2 जाती खाती दुरूस्त किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

आज तारीख 02.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :— 57/2021

शीर्षक

नाथी देवी पुत्री सुवालाल पत्नी भगवान सहाय, उम्र — व्यस्क, जाति खाती निवासी करीरी, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर ।

वादीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू–धारक) , तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)
2. बिश्वेश्वर पुत्र भूरा
3. ऋतुराज
4. विनोद
5. राकेश
6. संगीता

(3–6) पि0 हनुमान

समस्त जाति खाती निवासी करीरी, तह0 शाहपुरा ,जिला जयपुर (राज0)

7. चन्दा
8. पूजा
9. मुकेश
10. आशिष

(7–10) पि0 मुरली उर्फ मुरारी

समस्त जाति खाती निवासी करीरी, तह0 शाहपुरा ,जिला जयपुर (राज0)

11. मोहन पुत्र भूरा जाति निवासी करीरी, तह0 शाहपुरा ,जिला जयपुर (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा— 88, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक 2/10/2021

वाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है आ.ख.न. 369 रकबा 0.84 है0 वाकै ग्राम करीरी तह0 शाहपुरा में स्थित है। उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादिया के पिता के नाम दर्ज हैं। वादीया उक्त आराजीयात पर अपने पिता के समय से ही काबिज होकर उपयोग–उपभोग करती आ रही है। वादीया के पिता को सुवा व सुरजा दो नामो से जाना जाता था जिसके चलते हाल आराजी खसरा न0 117,118 कुल किता 2 रकबा 0.69 है0 वाकै ग्राम करीरी में वादीया के पिता का नाम सुवा पुत्र मन्ना , खाता सं0 880 के आ.ख.न. 369/0.84 में सुरजा पुत्र मन्ना राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीया के पिता सुवा उर्फ सुरजा की दिनांक 26.01.1969 की मृत्यु हो चुकी है। उसकी मृत्यु के बाद वादीया उक्त भूमि पर काबिज है। एक सप्ताह पूर्व जब वादीया उक्त आराजीयात का विरासत का नामान्तरण अपने नाम करवाने बाबत् राजस्व कर्मचारियो से मिली तो वादीया को पता चला कि उक्त आराजीयात में राजस्व रिकार्ड में वादीया में पिता सुवा पुत्र मन्ना के स्थान पर सुरजा पुत्र मन्ना का नाम खातेदार दर्ज हो गयी है। इस कारण वाद पत्र पेश करना लाजमी हुआ है। अन्त में निवेदन किया कि आ.ख.न. 369 रकबा 0.84 है वाकै ग्राम करीरी शाहपुरा में वादीया में पिता का नाम सुरजा पुत्र मन्ना के स्थान पर सुवा पुत्र मन्ना की दुरूस्ती की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादीगण ने उपतहसीलदार अमरसर, व पटवारी हल्का करीरी की रिपोर्ट में जाहिर किया है कि जमाबन्दी के खाता सं0 879 के ख.न. 117, 118 में सुवा पुत्र मन्ना कि 1/2 खाता सं0 880 के आ.ख.न. 369 में सुरजा पुत्र मन्ना हि0 1/2 दर्ज है। सुवा पुत्र मन्ना व सुरजा पुत्र मन्ना एक ही व्यक्ति है वादीया तथा सहखातेदारान द्वारा अपने जवाब व शपथपत्र पेश कर जाहिर किया है कि सुवा पुत्र मन्ना, सुरजा पुत्र मन्ना एक ही व्यक्ति है। जिसे दुरूस्त किया जावे।

वकील वादीया ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम करीरी के जमाबन्दी के खाता सं0 879 के ख.न. 117, 118 में सुवा पुत्र मन्ना हि0 1/2 खाता सं0 880 के आ0ख0न0 369 में सुरजा पुत्र मन्ना हि0 1/2 जाति खाती दर्ज है। दोनो सुवा पुत्र मन्ना व सुरजा पुत्र मन्ना एक ही व्यक्ति के नाम है। जिससे वादीया के खाता सं0 880 के आ0ख0न0 369 में सुवा पुत्र मन्ना दुरूस्त की जावे। जिससे वादीया अपने पिता का विरासत का नामान्तरण खुलवा सके।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

हमने राजस्व रिकार्ड व पत्रावली का अवलोकन किया गया। खाता सं0 360 में सुरजा पुत्र मन्ना हि0 1/2 जाति खाती दर्ज है व खाता सं0 879 के ख0 न0 117 118 में सुवा पुत्र मन्ना हि0 1/2 जाति खाती दर्ज है। खातेदारो के जवाब व नायब तहसीलदार अमरसर व पटवारी हलका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम [illegible] के खाता सं0 880 के आ0ख0न0 369 रकबा 0.84 है0 हि0 1/2 जाति खाती में सुरजा पुत्र मन्ना के स्थान पर सुवा पुत्र मन्ना हि0 1/2 जाति खाती दुरूस्त होना पाया जाता है।

अतः वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर खाता सं0 880 के आ0ख0न0 369 रकबा 0.84 है0 हि0 1/2 जाति खाती में सुरजा पुत्र मन्ना के स्थान सुवा पुत्र मन्ना हि0 1/2 जाति खाती दुरूस्त किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीणा)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जि. जयपुर) राज.